

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 825वी बैठक दिनांक 12.01.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 825वीं बैठक दिनांक 12.01.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

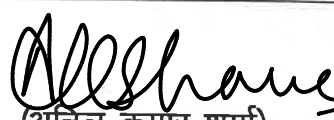
1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9590/2023	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9036/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9272/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	10718/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
5.	10711/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	10719/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	स्पष्टीकरण एवं Delisted
7.	10720/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	10721/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	10723/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	10727/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
11.	10728/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8007/2020	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	10584/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	10528/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10285/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
16.	10179/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
17.	10171/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
18.	10172/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
19.	10594/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	10251/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
21.	10215/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
22.	10194/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 825वी बैठक दिनांक 12.01.2024
का कार्यवाही विवरण**

23.	10216/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
24.	10208/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10209/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	10189/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
27.	10596/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
28.	10598/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
29.	10624/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
30.	10623/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	10668/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
32.	10683/2023	1(a)	मुरुम खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
नीतिगत निर्णय					

1. प्रकरण क्र. 9590/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री धीरज फिरोजिया आत्मज श्री रमेशचंद फिरोजिया निवासी- 24, तात्या टोपे मार्ग, फ्रीगंज, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 280/3, ग्राम बांसखेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में जहां वृक्ष लगे हुये है उनकी केनोपी कवर करते हुये उनके चारों ओर 01 मी. परिधि का चबूतरा बनाके श्रमिकों के बैठने के लिये स्थान बनाया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री धीरज फिरोजिया आत्मज श्री रमेशचंद फिरोजिया निवासी- 24, तात्या टोपे मार्ग, फ्रीगंज, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 280/3, ग्राम बांसखेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 6868-71 दिनांक 13.05.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

2. प्रकरण क्र. 9036/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी आत्मज श्री हेमसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम अकोलिया, तहसील व जिला धार (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14,550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 1022/1/ग/2, ग्राम खेड़ा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेन्ट फंड (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी आत्मज श्री हेमसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम अकोलिया, तहसील व जिला धार (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14,550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 1022/1/ग/2, ग्राम खेड़ा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार के आदेश क्र. 1974 दिनांक 02.08.2018 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 9272/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह आत्मज श्री भेरूसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम बरदरी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 व मुरुम 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 646/2, 647, ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेन्ट फंड (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

माह में प्रस्तावित कलस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

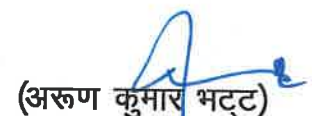
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह आत्मज श्री भेरुसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम बरदरी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 व मुरुम 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 646/2, 647, ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार के आदेश क्र. 591 दिनांक 21.04.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र. 10718/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मिनरल्स, पार्टनर श्री कैलाश जोशी, निवासी—ग्राम—फलना, पोस्ट फलना (रूरल), जिला पाली (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 25003 घनमीटर प्रतिवर्ष से 3,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4.890 हेक्टेयर, खसरा नं. 369/1, ग्राम कदवां, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि –

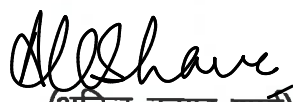
प्रकरण क्षमता विस्तार का है जिसमें भारत सरकार द्वारा अभिप्रमाणित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के अनुसार ज्यादातर शर्तों का परिपालन नहीं किया गया है तथा SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान क्षेत्र की गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र में खनन कार्य होना नहीं पाया गया तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान के पृष्ठ क्रमांक-15 के अनुसार लीजी के अस्वस्थ होने के कारण वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के अवधि में शून्य उत्पादन दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जब पूर्व में स्वीकृत उत्पादन क्षमता का खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो यह विस्तार का प्रकरण कैसे होगा ? वर्तमान में लगभग 12 गुनी उत्पादन क्षमता विस्तार का क्या आधार है इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10711/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजमल कुमावत आत्मज श्री गिरधारीलाल कुमावत, निवासी- 120, करगदी रोड़, जिला रतलाम (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 173, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702 वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की

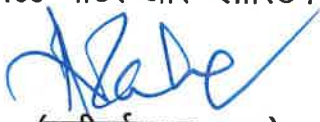

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ईआईए में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्क्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. प्रकरण क्र. 10719/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कालुवाला कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मंजीत पेटवार, निवासी- 201, द्वितीय तल, इरिस टेक पार्क, सोहना रोड़, सेक्टर 48, जिला गुड़गांव (हरियाणा) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,97,806 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बेनेगांव, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702 वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त खुदे हुए लीज क्षेत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10720/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आनंद स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री प्रकाश माधवानी, निवासी- म.नं. 59-ए, प्रभू नगर, ईदगाह हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57330 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 342/1/2, 346/1/2/1, 346/1/2/2, 348/2, ग्राम चांदबड़ कदीम, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702 वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः परिपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।

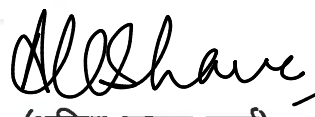

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सरपेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

- XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XVI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्टले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10721/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आशा पाटवाला पत्नि श्री सुनील पाटवाला, निवासी- 91, सुख निवास, जिला इन्दौर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19885 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 37/1, ग्राम धामन्दा, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702 वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः परिपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XVI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उसका डिस्क्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

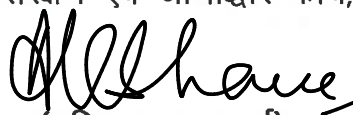
9. प्रकरण क्र. 10723/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वंदना विश्वास पत्नि श्री अनिमेष विश्वास, निवासी- बालपुर, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 19400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवरवर्डन 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 286, ग्राम कुलवट, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खदान के गहरें ढाल क्षेत्र पहाड़ी की ओर सेटबैक 0.7070 हे. नो.माईनिंग जोन छोड़ा जायेगा तथा स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मी. के नीचे खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वंदना विश्वास पत्नि श्री अनिमेष विश्वास, निवासी- बालपुर, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 19400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवरवर्डन 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 286, ग्राम कुलवट, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अलीराजपुर द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 27.09.2018 के माध्यम से 10 वर्ष दिनांक 27.09.2018 से 26.09.2028 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

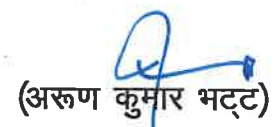
10. प्रकरण क्र. 10727/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव भनोत आत्मज स्व. श्री कृष्णअवतार भनोत, निवासी- 1101, भनोत हाउस, गोरखपुर जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25347 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 20, 22, 24पी, ग्राम खेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702 वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः परिपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

- XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XVI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू हैं की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10728/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल चौधरी आत्मज श्री गोविन्द चौधरी, निवासी-अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 16975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 65, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

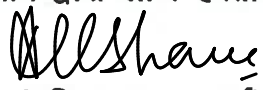
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

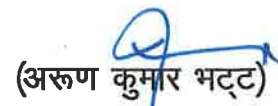
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यो हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल चौधरी आत्मज श्री गोविन्द चौधरी, निवासी- अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 16975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 65, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), रतलाम द्वारा लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 1987 दिनांक 28.11.2022


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुसार उक्त लीज दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2028 तक स्वीकृति की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 8007/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, ऐसन हाईट्स पीयू-3, स्कीम नं. 54, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, उत्पादन क्षमता चूनापत्थर 2,09,815 टन प्रतिवर्ष, माईन वेस्ट 55773 टीपीए एवं ओबरवर्डन 71324 टीपीए, रकबा 95.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 391, 394/1/1, 394/1/2, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 204, 213, 218, 220, 221, 222, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 400, 403/1/1, 403/1/2, ग्राम बेकल्या, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 702वी बैठक दिनांक 16.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-दस्तावेजों के अनुसार खदान का भू-स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है। अतः जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी की उपस्थिति में भू-स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से दोनों ओर न्यूनतम 100 मीटर एवं नदी के एचएफएल से न्यूनतम 100 मीटर तथा प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 685 वृक्षों में से काटे जाने वाले 100 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 1000 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्रि-गार्ड लगाये जायें एवं खदान क्षेत्र में बचे शेष वृक्षों का भी संरक्षण किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, ऐरन हाईट्स पीयू-3, स्कीम नं. 54, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, उत्पादन क्षमता चूनापत्थर 2,09,815 टन प्रतिवर्ष, माईन वेस्ट 55773 टीपीए एवं ओबरवर्डन 71324 टीपीए, रकबा 95.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 391, 394/1/1, 394/1/2, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 204, 213, 218, 220, 221, 222, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 400, 403/1/1, 403/1/2, ग्राम बेकल्या, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। म.प्र. खनिज साधन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-24/2019/12/1 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार 50 वर्ष हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है, अतः भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 10584/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री बलवीर तोमर, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.50 हे0, खसरा क्रमांक 672, ग्राम कदारी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

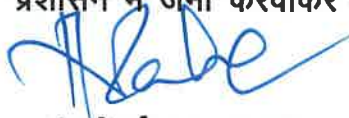

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

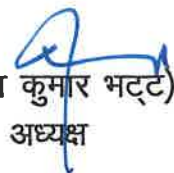
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान के बीच में स्थित स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर एवं अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए खनन कार्य 0.41 हे. क्षेत्र पर ही किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री बलवीर तोमर, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1. 50 हे0, खसरा क्रमांक 672, ग्राम कदारी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 10528/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 15, ग्राम कुलपुरा, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 15, ग्राम कुलपुरा, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

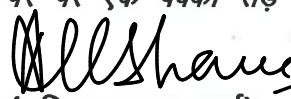
15. प्रकरण क्र. 10285/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 68400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 688, ग्राम गुलीडांड, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 677वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 115 मीटर की दूरी पर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार,


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 10179/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 447, ग्राम कटकोना, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 680वीं बैठक दिनांक 15.09.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 810वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 498 मीटर पर एक रेल्वे ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रेल्वे ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार रेल्वे ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 10171/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 49,140 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.73 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 420, ग्राम सारंगगढ़, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 680वीं बैठक दिनांक 15.09.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

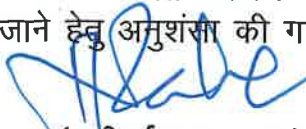
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 810वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 225 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10172/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी— पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा सीतापुर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 13, ग्राम सीतापुर, तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 300 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 10594/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद धाबई, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2346 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.170 हे0, खसरा क्रमांक 79, ग्राम आमढाना रैयत-1, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान में स्थित स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर एवं अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद धाबई, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2346 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.170 हे0, खसरा क्रमांक 79, ग्राम आमढाना रैयत-1, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. प्रकरण क्र. 10251/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.346 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76/1, ग्राम मोरगन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान के बीचो-बीच पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान के दोनों ओर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

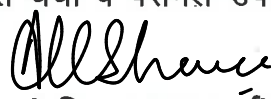
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार खदान के बीचो-बीच स्थित पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 10215/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 47, ग्राम कोयडिया, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 100 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है एवं उक्त खदान तीन भागों में विभक्त होना परिलक्षित नहीं है" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

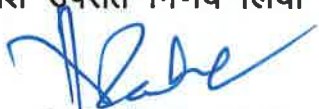
22. प्रकरण क्र. 10194/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.205 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 190, ग्राम निसारपुर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 140 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है " प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. 10216/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245, ग्राम पाटी, तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 710 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। " प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 10208/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1007, ग्राम पलसूत नवीन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

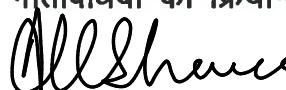

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

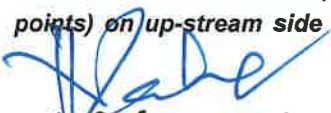
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1007, ग्राम पलसूत नवीन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

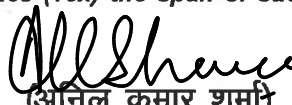
25. प्रकरण क्र. 10209/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.344 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम खजूरी नवीन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.344 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम खजूरी नवीन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

26. प्रकरण क्र. 10189/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 705, ग्राम डोंडवारा, तहसील निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 200 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है " प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

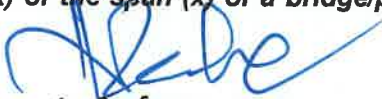
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 10596/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरीशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 39,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 685, ग्राम कामता, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 एवं 703वीं बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

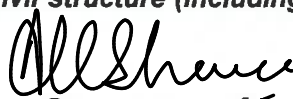
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 127 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है " प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 10598/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,670 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.860 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 78, ग्राम माथनी, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल संभाग का पत्र क्रमांक 5857 दिनांक 25/10/2023 एवं अनुविभागिय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग चिचोली का पत्र क्रमांक 351 दिनांक 12/10/2023 प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत पत्र में ब्रिज से कितनी दूरी पर सुरक्षित खनन कार्य किया जा सकता है के संबंध में स्पष्ट मत नहीं दिया गया है। अतः इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकती तदनुसार आवेदन निरस्त करने की अनुशंसा है।"

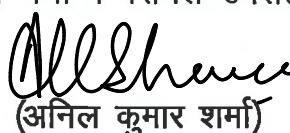
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 703वीं बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 10624/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 306/1, ग्राम रामपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वी बैठक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 418 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है " प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 10623/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 818, ग्राम डिडोल, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 एवं 703वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 818, ग्राम डिडोल, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

31. प्रकरण क्र. 10668/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी- 7/26, सिविल लाईन, तिलक वार्ड, जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार डोलोमाईट 17000 टीपीए से 1,21,282 टीपीए एवं वेस्ट 6937 टीपीए, रकबा 6.81 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक पुरान खसरा नम्बर 1472/2, 1472/3, 1472/4, 1473/1, 1473/2, 1474, 1475 नवीन खसरा नम्बर 415, 394, 395, 396, 397, 414, 398, ग्राम ककैया, तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703 वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में SEAC की 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 में अनुशंसित ToR में संशोधन जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....अतः समिति चर्चा उपरांत पूर्व 696वीं बैठक दिनांक 22/11/2023 में अनुशंसित टॉर में उत्पादन क्षमता Dolomite-17000, Mine Waste-6937 TPA के स्थान पर डोलोमाईट-17,000 टीपीए से 1,21,282 टीपीए एवं माइन वेस्ट-6,937 टीपीए पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 703 वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 17000 टीपीए एवं वेस्ट 6937 टीपीए के स्थान पर उत्पादन क्षमता विस्तार डोलोमाईट 17000 टीपीए से 1,21,282 टीपीए एवं वेस्ट 6937 टीपीए पठन किये जाने हेतु संशोधित पत्र जारी किया जाये। पूर्व में जारी ToR पत्र क्र. 2361-62 दिनांक 21.12.2023 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 10683/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हीरालाल पाटीदार आत्मज श्री गोविन्दराम पाटीदार, निवासी- ग्राम धराड़, तहसील एवं जिला रतलाम (म0प्र0) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक पुरान खसरा नम्बर 3/11, ग्राम नौगांवकला, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 703 वी बैठक दिनांक 18.12.2023 में उक्त प्रकरण में SEAC की 698वी बैठक दिनांक 07.12.2023 में अनुशंसित ToR में संशोधन जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....अतः समिति चर्चा उपरांत पूर्व 698वीं बैठक दिनांक 07/12/2023 में अनुशंसित टॉर के शीर्षक में मुरुम 4000 एवं पत्थर 25000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर मुरुम 25000 घनमीटर/वर्ष पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 703 वी बैठक दिनांक 18.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में उत्पादन क्षमता मुरुम 4000 एवं पत्थर 25000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता विस्तार मुरुम 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधित पत्र जारी किया जाये। पूर्व में जारी ToR पत्र क्र. 2493-94 दिनांक 05.01.2024 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

नीतिगत निर्णय

प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. द्वारा पत्र क्र. 1255 दिनांक 27.12.2023 एवं विधिक परामर्श सहित प्राप्त पत्र दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के ऐसे 40 प्रकरण, जिनमें पर्यावरण स्वीकृति की वैधता 30.06.2023 अंकित है, में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष मानते हुए पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा 805वी बैठक दिनांक 06.09.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार ऐसे रेत खनन के प्रकरण, जिनमें पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 अंकित है, के मामले में प्रबंध संचालक, दि. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को पूर्व में SEIAA के पत्र दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि इन प्रकरणों की वैधता समाप्त हो चुकने के कारण पर्यावरण स्वीकृति कारपोरेशन के पक्ष में हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि -

1. राज्य शासन द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का आवंटन 10 वर्ष हेतु दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. के पक्ष में किया गया है एवं जिन खदानों की पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 30.06.2023 तक वैध थी, मूलतः वह सभी खदानें संबंधित जिला कलेक्टर के अधीन थी।
2. दि. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन द्वारा इन्हीं प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति की वैधता में वृद्धि किये जाने हेतु परिवेश पोर्टल पर निर्धारित फार्म-6 में आवेदन भी, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 के परिपालन में, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता समाप्त होने के पश्चात् 90 दिवस की अवधि में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि :-

- 1- Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता निर्धारित अवधि 05 वर्ष के प्रावधान तथा प्रश्नाधीन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति वैधता की अवधि में ही राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा कारपोरेशन के पक्ष में 10 वर्ष के लिये लीज स्वीकृत होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 की निम्नानुसार कंडिका

"9 (iii) (b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be"

के परिपालन में परिवेश पोर्टल पर फार्म-6 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता में वृद्धि किये जाने हेतु आवेदित इन प्रकरणों को SEAC समिति को परीक्षण उपरांत यथोचित अनुशंसा हेतु प्रेषित किये जायें।

- 2- तदनुसार प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. को सूचित किया जाये।
- 3- उक्त निर्णित कार्यवाही के संबंध में सदस्य सचिव SEAC को भी पृथक से पत्र प्रेषित कर उपरोक्तानुसार आवेदित प्रकरणों को प्राथमिकता पर SEAC समिति की बैठकों में सम्मिलित किये जाने हेतु सूचित किया जाये।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



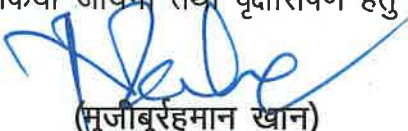
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

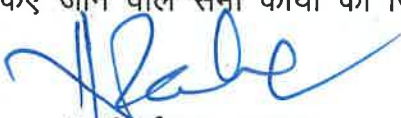
1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतवनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर **SEIAA** एवं **SEAC** के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. **SEIAA** द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

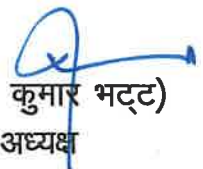
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

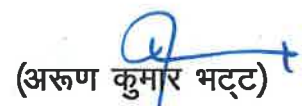
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

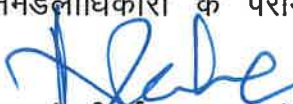
runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

परिशिष्ट-3

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पट्टा रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट द्रव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष